कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित	**श्री मृत्युंजय कुमार नारायण, कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।**
प्रार्थी	**सर्वश्री केन्द्रीय भण्डार, एच0 ए0 एल0 शॉपिंग काम्पलेक्स, फैजाबाद रोड, लखनऊ।**
प्रार्थना पत्र संख्या व दिनांक	**059 / 13, 11.12.2013**
प्रार्थी की ओर से	**श्री माधव चतुर्वेदी, विद्वान अधिवक्ता।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

सर्वश्री केन्द्रीय भण्डार, एच0 ए0 एल0 शॉपिंग काम्पलेक्स, फैजाबाद रोड, लखनऊ द्वारा दिनांक 11.12.2013 को उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया, जिसमें उनके द्वारा कहा गया है कि उनकी फर्म द्वारा आदेश प्राप्त होने पर गोदरेज फर्नीचर से कुछ फर्नीचर क्रय करके सर्वश्री नेशनल प्रोजेक्ट्स कन्सट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड नामक भारत सरकार के एक उपक्रम को बिक्री के रूप में सप्लाई कर दिया गया है। प्रार्थना-पत्र में जिज्ञासा व्यक्त की गयी है कि इस प्रकार की सप्लाई '' बिक्री '' मानी जायेगी अथवा '' वर्क कान्ट्रैक्ट '' की परिधि में आयेगा। इसका उत्तर देने का अनुरोध किया गया।

2. प्रार्थना-पत्र की सुनवाई हेतु श्री माधव चतुर्वेदी, विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुए, उनके द्वारा प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तथ्यों को दोहराया गया।

3. उपरोक्त संदर्भ में एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, लखनऊ जोन-द्वितीय, लखनऊ के पत्र संख्या-2460, दिनांक 04.01.2014 द्वारा प्रेषित आख्या में कहा गया है कि व्यापारी द्वारा '' बिक्री '' किया गया है या '' वर्क कान्ट्रैक्ट '' किया गया है यह व्यापारी द्वारा किये गये कार्य से निर्धारित होगा। यदि व्यापारी द्वारा सीधे सप्लाई की गई है तो '' बिक्री '' की श्रेणी में आयेगा अन्यथा उनके द्वारा आलमारी की बिक्री व फिक्सिंग होने पर '' वर्क कान्ट्रैक्ट '' के तहत आना चाहिए।

4. प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा कहा गया है कि प्रश्नकर्ता द्वारा किसी संव्यवहार को सप्लाई / बिक्री अथवा वर्क कान्ट्रैक्ट निर्धारित करने के सम्बन्ध में प्रश्न पूछा गया है। संव्यवहार की प्रकृति निर्धारित करने से सम्बन्धित प्रश्न उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 से आच्छादित नहीं है। अत: आच्छादित न होने के कारण प्रार्थना-पत्र ग्राह्य नहीं होना चाहिए।

5. मेरे द्वारा धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तर्कों, प्रस्तुत साक्ष्यों, एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, लखनऊ जोन-द्वितीय, लखनऊ द्वारा प्रेषित आख्या एवं विधि-व्यवस्था का परिशीलन किया गया। पाया गया कि संव्यवहार की प्रकृति निर्धारित करने के सम्बन्ध में प्रश्न उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 से आच्छादित नहीं है। अत: प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र धारा-59 के अन्तर्गत ग्राह्य न होने के कारण अस्वीकार किया जाता है।

...2

6. प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

7. उपरोक्त की एक प्रति व्यापारी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई0 टी0 अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय।

दिनांक 22 जनवरी, 2014 ह0 / 22.01.2014

(मृत्युंजय कुमार नारायण)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।